अध्याय V

निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा

अध्याय V: निगरानी, शिकायत निवारण और सामाजिक लेखापरीक्षा

मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश गुणवता प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी तंत्र के पहलुओं को निर्दिष्ट करते हैं। गुणवता प्रबंधन के तीन विशिष्ट पहलू हैं जैसे कार्यस्थल पर गुणवता नियंत्रण, गुणवता पर्यवेक्षण और गुणवता निगरानी। गुणवता प्रबंधन के अलावा, राज्य रोजगार गारंटी परिषद, सामाजिक अंकेक्षण, शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही, लोकपाल प्रणाली जैसे अन्य पहलू भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की निगरानी का हिस्सा हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन में लगने वाली भारी धनराशि और राज्य भर में 11037 ग्राम पंचायतों में इसे लागू करने से योजना की निगरानी और मूल्यांकन चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसलिए, योजना की कार्यप्रणाली की सुदृढ़ और कुशल निगरानी, मूल्यांकन और समीक्षा अनिवार्य थी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत निगरानी, आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है :

5.1 राज्य रोजगार गारंटी परिषद की कार्यप्रणाली

नरेगा अधिनियम, 2005 (नवंबर 2009 तक संशोधित) की धारा 12(2) के अनुसार, प्रत्येक राज्य में निगरानी एवं निवारण तंत्र की समीक्षा करने, सुधार के लिए सिफारिशें देने और राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने तथा योजना से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) का गठन किया जाना था। एसईजीसी की बैठक हर छह महीने में होनी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राजस्थान सरकार ने एसईजीसी का गठन मार्च 2006 में किया था, जिसका पुनर्गठन[1] जुलाई 2010 में किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने (मार्च 2022) पर उनके नामांकन में देरी और 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के कारण 2019-2024 के दौरान एसईजीसी की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी। एसईजीसी की अंतिम बैठक 5 जुलाई 2016 को आयोजित की गई थी।

आयुक्त, ईजीएस ने स्वीकार किया (जुलाई 2024) कि बैठकें आयोजित नहीं की गई और

[1] राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसईजीसी का पुनर्गठन किया गया और इसमें 24 सदस्य और 10 मनोनीत सदस्य शामिल हैं।

परिषद द्वारा कोई सुझाव नहीं दिए गए। हालाँकि, वार्षिक रिपोर्ट समय पर राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जा रही थीं।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि पूर्व में मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों के दो वर्ष पूरे होने और हाल ही में 16वीं विधानसभा के गठन के कारण बैठकें नहीं हो सकीं और राजस्थान एसईजीसी में गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन प्रक्रियाधीन है।

तथ्य यह है कि राज्य सरकार को योजना से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने और सलाह देने के लिए एसईजीसी की बैठकें एक महत्वपूर्ण तंत्र हैं, और राज्य में इस तंत्र का उपयोग नहीं किया गया।

5.2 राज्य एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रकों की नियुक्ति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 14.10.4 के अनुसार, राज्य गुणवत्ता मॉनिटर कम से कम पाँच प्रतिशत कार्यों का प्रगतिरत होने के दौरान निरीक्षण करेगा, ताकि प्रक्रिया की गुणवत्ता के पहलुओं का आकलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त, वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 के अनुच्छेद 7.12.1 के अनुसार, जिला गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ योजना के अंतर्गत संबंधित जिले में निष्पादित कम से कम 10 प्रतिशत कार्यों की निगरानी और मूल्यांकन करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने छह सदस्यीय राज्य स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ तथा जिलों में पांच सदस्यीय जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना फरवरी 2025 में की थी, अर्थात परिचालन दिशानिर्देश 2013 जारी होने के 11 वर्ष से अधिक समय बाद।

इस प्रकार, राज्य स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना में विलंब के कारण, प्रगतिरत कार्यों की गुणवत्ता का आकलन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना में विलंब के कारण, जिला स्तर के अधिकारियों ने 2019-24 के दौरान योजना के अंतर्गत पूर्ण किए गए कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी एवं मूल्यांकन नहीं किया।

राज्य सरकार द्वारा गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ के गठन में विलंब के कारणों की जानकारी नहीं दी।

5.3 जिला स्तर पर लोकपाल की स्थापना और शिकायतों का निवारण

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 13.14 यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार योजना के कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए सभी जिलों में लोकपाल कार्यालय स्थापित करेगी।

लोकपालों को मनरेगा श्रमिकों और अन्य लोगों से निर्दिष्ट मामलों पर शिकायतें प्राप्त करने, उन पर विचार करने और कानून के अनुसार उनका निपटान करने का अधिकार होगा। लोकपाल को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर निर्णय पारित करना होगा।

राज्य सरकार ने सभी 33 जिलों में लोकपाल नियुक्त किए हैं। मनरेगा पोर्टल की एमआईएस रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला है कि फरवरी 2025 तक राज्य स्तर पर लोकपाल के पास 159 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 136 (85.53 प्रतिशत) शिकायतें छह महीने से अधिक समय से लंबित थीं, जिनमें से 99 (62.26 प्रतिशत) शिकायतें एक वर्ष से अधिक समय से लंबित थीं।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि नमूना जाँच किए गए चार जिलों[2] में फरवरी 2025 तक लोकपाल के पास 23 शिकायतें अभी भी लंबित थीं, जिनमें से 20 शिकायतें[3] एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित थीं। शिकायतों का लंबे समय से लंबित रहना दर्शाता है कि विभाग ने कोई प्रभावी शिकायत निपटान तंत्र विकसित नहीं किया है।

नमूना जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 5 प्रतिशत (400 में से 20) लाभार्थियों को पता था कि शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर एक लोकपाल है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि मई 2025 तक संबंधित लोकपालों द्वारा 159 लंबित शिकायतों में से 43 का समाधान कर दिया गया है। शिकायतों के निवारण के लिए समय-समय पर सभी लोकपालों को स्मरणपत्र जारी किए गए हैं।

5.4 शिकायत निवारण हेतु अपीलीय प्राधिकरण

भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2017) संशोधित दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 13.4 के अनुसार, लोकपाल के निर्णयों से व्यथित किसी भी पक्ष के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए एक तीन-

[2] नागौरः 10 शिकायतें, जैसलमेरः 10 शिकायतें, बांसवाड़ाः एक शिकायत और कोटाः दो शिकायतें।

[3] नागौरः 10 शिकायतें, जैसलमेरः नौ शिकायतें और बांसवाड़ाः एक शिकायत।

सदस्यीय अपीलीय प्राधिकरण, जिसमें एक शिक्षाविद्, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक और एक नागरिक समाज प्रतिनिधि शामिल होंगे, गठित किया जाना था।

यह देखा गया कि जैसा की दिशानिर्देशों में अपेक्षित था राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण गठित नहीं किया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (सितंबर 2025) कि राज्य स्तरीय लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण के तीन सदस्यों (शिक्षाविद, सेवानिवृत्त सिविल सेवक और नागरिक समाज संगठन श्रेणी) की नियुक्ति कर दी गई है और राज्य में लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है।

तथ्य यह है कि दिशा-निर्देश जारी होने के आठ साल की देरी से अपीलीय प्राधिकरण की नियुक्ति की गई है।

5.5 शिकायतों का निपटान

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.13.1 के अनुसार, राज्य सरकार, नियमों द्वारा, योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी शिकायत से निपटने के लिए ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करेगी और ऐसी शिकायतों के निपटान के लिए प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

आयुक्त, ईजीएस द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना की संवीक्षा से पता चला कि 2019-24 के दौरान आयुक्त, ईजीएस को 915 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से, 502 शिकायतों का समाधान किया गया और 413 शिकायतें[4] (45.14 प्रतिशत) अगस्त 2024 तक लंबित थीं, जिनमें से 65 लंबित शिकायतें (7.10 प्रतिशत) 2021-22 और 2022-23 की अवधि से संबंधित थीं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में श्रमिकों को मजदूरी भुगतान, निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री के उपयोग, कार्यों में जेसीबी मशीनों के उपयोग आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। नमूना जाँच किए गए जिलों में शिकायतों के निपटान का विवरण नीचे दिया गया है :

- बांसवाड़ा जिले में 2019-24 के दौरान प्राप्त सभी 76 शिकायतों का जुलाई 2024 तक अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एडीपीसी) द्वारा निपटान कर दिया गया।

[4] 2019-20: 22 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का समाधान हो गया, 2020-21: 69 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी का समाधान हो गया, 2021-22: 107 शिकायतें प्राप्त हुईं और 10 लंबित, 2022-23: 227 शिकायतें प्राप्त हुईं और 55 लंबित, 2023-24: 490 शिकायतें प्राप्त हुईं और 348 लंबित।

- चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 2023-24 में प्राप्त आठ शिकायतों में से दो शिकायतें लंबित (जुलाई 2024) थीं।
- कोटा जिले में 2019-23 की अवधि के लिए शिकायत रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया, जिसके कारण यह पता नहीं चल सका कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं। हालाँकि, वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त सभी 31 शिकायतों का निपटान कर दिया गया।
- नागौर जिले में, 2019-23 के दौरान प्राप्त 197 शिकायतों में से 108 सितंबर 2024 तक लंबित थीं।
- जैसलमेर जिले में, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

नमूना-जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों में किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि 67 प्रतिशत (400 लाभार्थियों में से 268) लाभार्थियों को शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी नहीं थी।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि 2019-24 के दौरान प्राप्त केवल 77 शिकायतें लंबित हैं, जो केवल वर्ष 2023-24 से संबंधित हैं। चित्तौड़गढ़, कोटा और नागौर जिलों को अनुपालना हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

5.6 सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के अनुच्छेद 13.6.2, 13.6.3 और 13.6.4 यह प्रावधान करते हैं कि राज्य स्तर पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) से युक्त एक सतर्कता प्रकोष्ट, जिला स्तर पर जिला स्तरीय प्राधिकरण के अधीन एक जिला सतर्कता प्रकोष्ठ और स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद एक सतर्कता एवं निगरानी समिति गठित की जानी हैं। इन प्रकोष्ठों का गठन योजना के कार्यान्वयन के बारे में शिकायतें प्राप्त करने, अनियमितताओं का पता लगाने के लिए नियमित रूप से क्षेत्रीय दौरे करने, मीडिया में आने वाली रिपोर्टों के आधार पर स्वतः कार्रवाई करने, कार्यस्थलों का दौरा करने और मजदूरों से बातचीत करने के लिए किया जाना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर सतर्कता प्रकोष्ठ का गठन फरवरी 2025 में परिचालन दिशानिर्देश 2013 जारी होने के 11 वर्ष से भी अधिक समय बाद किया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थानीय स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी

समिति का गठन नहीं किया गया था। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, कोटा और नागौर जिलों में सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन से संबंधित जानकारी माँगे जाने (जुलाई-दिसंबर 2024) के बावजूद भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि नागौर जिलों में सतर्कता समिति का गठन कर दिया गया है। हालाँकि, नागौर जिले में सतर्कता समिति के गठन की तिथि सूचित नहीं की गई और अन्य चयनित जिलों के लिए कोई उत्तर नहीं दिया गया।

5.7 आवधिक निरीक्षण

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारी निगरानी भ्रमण ऐप लॉन्च (मई 2021) किया है। इस ऐप का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं का वास्तविक समय पर निरीक्षण और साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग करना है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षण की परिणाम रिपोर्ट देखने का प्रावधान भी ऐप में उपलब्ध है।

'क्षेत्रीय अधिकारी एप्लीकेशन' पर उपलब्ध रिपोर्ट 'लक्ष्य बनाम कार्यस्थल निरीक्षण रिपोर्ट' की संवीक्षा से पता चला कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी), अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (एडीपीसी), कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता को दिए गए लक्ष्यों के मुकाबले कार्यस्थल निरीक्षण बहुत कम थे, जैसा कि नीचे **तालिका 5.1** में दिखाया गया है:

तालिका 5.1: 2021-22 से 2023-24 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध कार्यस्थल निरीक्षण

वर्ष	डीपीसी		एडीपीसी		अधिशाषी अभियंता		सहायक अभियंता		कनिष्ठ अभियंता	
	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण	लक्ष्य	कार्यस्थल निरीक्षण
2021-22	3960	235	3960	1403	3960	301	3960	239	3960	0
2022-23	3960	2105	3960	3439	3960	2064	3960	370	3960	0
2023-24	3960	1472	3960	2968	3960	3506	3960	573	3960	0
योग	**11880**	**3812 (32%)**	**11880**	**7810 (66%)**	**11880**	**5871 (49%)**	**11880**	**1182 (10%)**	**11880**	**0**

(स्रोतः एरिया ऑफिसर ऐप डेटा)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान डीपीसी, एडीपीसी, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता द्वारा किए गए कार्य स्थल निरीक्षण का

प्रतिशत क्रमशः 32 प्रतिशत, 66 प्रतिशत, 49 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 0 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक की रिपोर्ट 'क्षेत्रीय अधिकारी' एप पर अपलोड नहीं की गई।

इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में 2021-22 से 2023-24 के दौरान लक्ष्यों के विरुद्ध कार्य स्थल निरीक्षण काफी कम थे। नमूना-जांच किए गए किसी भी जिले में कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण नहीं किया गया और चित्तौड़गढ़ जिले में केवल सहायक अभियंता द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण किया गया, जो लक्ष्य के विरुद्ध केवल 24 प्रतिशत था। नमूना-जांच किए गए पांच जिलों में लक्ष्यों के विरुद्ध कार्य स्थल निरीक्षण की स्थिति ***परिशिष्ट 5.1*** में दर्शाई गई है:

आयुक्त, ईजीएस ने उत्तर दिया (अप्रैल 2025) कि कोविड-19 महामारी और राज्य चुनावों के कारण वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक कम निरीक्षण किए गए।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा के जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को अनुपालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। एडीपीसी, नागौर ने बताया कि निरीक्षण बढ़ाने के प्रयास किए जाएँगे और एडीपीसी, जैसलमेर ने खंड विकास अधिकारीयों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

5.8 अनिवार्य अभिलेखों का संधारण

भारत सरकार ने योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अभिलेखों के उचित संधारण हेतु निर्देश जारी किए (अक्टूबर 2016) और सात रजिस्टरों[5] के सरलीकृत प्रारूप प्रदान किए। ये रजिस्टर क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों के कामकाज को आसान बनाने और सूचना की गुणवत्ता से समझौता किए बिना कार्य के दोहराव को कम करने के उद्देश्य से, विशेषकर मजदूरों के अधिकारों से संबंधित, डिज़ाइन किए गए हैं।

नमूना-जाँच की गई 40 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई से नवंबर 2024) के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल 16 ग्राम पंचायतों में ही सभी सात रजिस्टर संधारित किए जा रहे हैं। आठ[6] ग्राम पंचायतों ने शिकायत रजिस्टर संधारित नहीं किया, एक[7] ग्राम पंचायत ने संपत्ति रजिस्टर संधारित नहीं किया, 14[8] ग्राम पंचायतों ने इन सात रजिस्टरों को

[5] I - जॉब कार्ड रजिस्टर (आवेदन, पंजीकरण, जॉब कार्ड जारी करना) और परिवार रोजगार रिपोर्ट; II - ग्राम सभा रजिस्टर; III - कार्य की माँग, कार्य का आवंटन और मजदूरी भुगतान रजिस्टर; IV - कार्य का रजिस्टर; V - अचल संपत्ति रजिस्टर; VI - शिकायत रजिस्टर; और VII - सामग्री रजिस्टर।

[6] जगपुरा, डोलिया, रंगपुर, मंडाना, कसार, किसनपुरा, बश्याहेड़ी और श्यामपुरा

[7] मस्का महुडी

[8] टोगा, मंडई, फतेहगढ़, उत्तम नगर, चकुदा, छापरी, मुंगाणा, रोलिया, बालसमंद, ढिंगसरी, तंवरा, जूसरी, सफेद बड़ी, सरनावदा।

आंशिक रूप से संधारित किया और एक[9] ग्राम पंचायत ने कोई रजिस्टर संधारित नहीं किया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि सभी जिलों को निर्धारित रजिस्टर संधारित किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

5.9 सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित वित्तीय दुर्विनियोजनों की वसूली

मनरेगा लेखापरीक्षा नियम 2011 की धारा 7(3)(सी) यह प्रावधान करती है कि प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक या उसकी ओर से कोई भी अधिकारी गबन की गई या अनुचित तरीके से उपयोग की गई राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा और इस प्रकार वसूली गई राशि के लिए एक अलग खाते का संधारण करेगा।

निदेशक, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (एसएसएएटी) द्वारा प्रदान की गई सूचना (जनवरी 2025) की संवीक्षा से पता चला है कि 2021-22 से 2023-24 के दौरान राज्य स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा के दौरान मनरेगा कार्यों में 140 मामलों में ₹ 3.91 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी की पहचान की गई थी, इनमें से जनवरी 2025 तक 41 मामलों में केवल ₹ 92.23 लाख रुपये (23.58 प्रतिशत) की वसूली की गई थी, जैसा कि नीचे **तालिका 5.2** में विवरण के बाद दिया गया है।

तालिका 5.2: सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित वित्तीय दुर्विनियोजन की वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

वर्ष	मामलों की संख्या जिनसे वित्तीय दुर्विनियोजन राशि वसूल की जानी थी	वसूली की जाने वाली राशि	मामलों की संख्या जिनमें राशि वसूल की गई	कुल वसूल की गई राशि	वसूली का प्रतिशत
2021-22	01	0.12	01	0.12	100
2022-23	51	122.27	18	76.13	62.26
2023-24	88	268.77	22	15.98	5.95
कुल	**140**	**391.16**	**41**	**92.23**	**23.58**

(स्रोतः एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

यह भी पाया गया कि वर्ष 2007-08 से 2019-20 तक सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित ₹ 42.77 लाख की वित्तीय अनियमितताओं के मामले, अप्रैल 2023 तक 3 से 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी जिला स्तर पर वसूल नहीं किए गए।

[9] महुडी

नमूना-जांच किए गए पाँच जिलों में, वर्ष 2021-24 के दौरान ₹ 2.83 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएँ इंगित की गईं, जिनमें से चित्तौड़गढ़ जिले में दिसंबर 2024 तक केवल ₹ 0.20 लाख की वसूली की गई, जैसा कि नीचे **तालिका 5.3** में दिया गया विवरण है:

तालिका 5.3: सामाजिक लेखापरीक्षा में नमूना जाँच किए गए जिलों में इंगित की गई दुर्विनियोजन राशि की वसूली की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिले का नाम	दुर्विनियोजन की गई राशि	वसूल की गई राशि	शेष राशि
1.	चित्तौड़गढ़	112.88	0.20	112.68
2.	बांसवाड़ा	27.05	00	27.05
3	नागौर	50.80	00	50.80
4	कोटा	29.88	00	29.88
5	जैसलमेर	62.50	00	62.50
कुल		**283.11**	**0.20**	**282.91**

(स्रोतः एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त के अतिरिक्त, नमूना-जाँच किए गए किसी भी जिले में वसूली गई राशि के लिए अलग बैंक खाता संधारित नहीं किया गया था। केवल एडीपीसी, जैसलमेर ने उत्तर (नवंबर 2024) दिया और अवगत कराया कि सामाजिक अंकेक्षण में दर्शाई गई राशि वसूल की जाएगी और अलग खाते संधारित किये जाएंगे।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित जिला परिषदों को 2021-24 के दौरान सामाजिक अंकेक्षण में इंगित की गई शेष ₹ 2.99 करोड़ की राशि की वसूली और 2007-08 से 2019-20 के दौरान इंगित की गई वित्तीय अनियमितताओं की बकाया राशि की वसूली/समायोजन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

5.10 सामाजिक लेखापरीक्षा में इंगित टिप्पणियों पर सुधारात्मक उपायों के लंबित रहने की स्थिति

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 का अनुच्छेद 13.4.2 यह प्रावधान करता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई की जाए।

निदेशक, एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना (नवंबर 2024) के अनुसार, 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई लंबित टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका 5.4** में दी गई है:

तालिका 5.4: लंबित सामाजिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति

वर्ष	सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई टिप्पणियों की संख्या	निपटाई गई टिप्पणियों की संख्या	लंबित टिप्पणियों की संख्या	लंबित टिप्पणियों का प्रतिशत
2019-20	571	80	491	85.99
2020-21	40	35	05	12.50
2021-22	55	28	27	49.09
2022-23	474	429	45	09.49
2023-24	1391	154	1237	88.93
कुल	**2531**	**726**	**1805**	**71.32**

(स्रोतः एसएसएएटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाए गए कुल 2531 टिप्पणियों में से 71.32 प्रतिशत टिप्पणियां सुधारात्मक उपायों के अभाव में लंबित थी। 2019-20 में उठाई गई 85.99 प्रतिशत टिप्पणियां चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नवंबर 2024 तक लंबित थी।

इसके अलावा, नमूना-जांच किए गए पाँच जिलों में, 2019-24 के दौरान सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई 50 प्रतिशत से 97.72 प्रतिशत टिप्पणियां नवंबर 2024 तक लंबित थी (बांसवाड़ाः 50 प्रतिशत, चित्तौड़गढ़ः 97.50 प्रतिशत, कोटाः 97.72 प्रतिशत, नागौरः 79.59 प्रतिशत और जैसलमेरः 72.94 प्रतिशत)।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक सामाजिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा जारी 2531 आपत्तियों में से 916 का संबंधित जिलों द्वारा निस्तारण/समायोजन कर दिया गया है। सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाई गई लंबित आपत्तियों के निस्तारण एवं समायोजन हेतु सभी जिलों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

5.11 समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा

मास्टर सर्कुलर 2019-20 के अनुच्छेद 10.1.12 के अनुसार, सभी कार्यों की हर माह समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, स्वयं सहायता समूहों, ग्राम सामाजिक लेखापरीक्षकों, ग्राम निगरानी समितियों और अन्य ग्राम स्तरीय संगठनों को सप्ताह के एक निश्चित दिन ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों और व्यय के सभी अभिलेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। आवश्यकतानुसार, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अभिलेखों की प्रतियाँ नाममात्र की लागत पर उपलब्ध कराई जाएँगी। ग्राम निगरानी समितियां प्रत्येक चालू कार्यस्थल का महीने में एक बार दौरा कर सकती है। ग्राम निगरानी समिति अपनी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करके उसे कार्यक्रम अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

सभी चयनित ब्लॉकों से एकत्रित अभिलेखों और सूचनाओं की संवीक्षा से पता चला कि किसी भी चयनित पंचायत समिति में चयनित प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए न तो ग्राम निगरानी समिति

का गठन किया गया और न ही समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। घाटोल, फतेहगढ़ और मकराना पंचायत समितियों ने तथ्य स्वीकार किए और शेष सात पंचायत समितियों ने मांगे जाने के बावजूद (सितंबर-जनवरी 2025) भी जवाब नहीं दिए।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि समवर्ती लेखापरीक्षा एसएसएएटी के दायरे में नहीं आती है, परन्तु ग्राम निगरानी समिति के गठन और ग्राम निगरानी समिति या किसी अन्य ग्राम स्तरीय संगठन द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा करने के बारे में कोई जवाब नहीं दिया।

5.12 मनरेगा श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) में पंजीकरण

ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश (दिसंबर 2021) के अनुसार, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थी परिवारों को ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत करना अनिवार्य था, ताकि श्रमिक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत ₹ 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, आयुक्त, ईजीएस (अक्टूबर 2022) ने जिला कार्यक्रम समन्वयकों को महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना[10] (पीएम-एसवाईएम) में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें पंजीकृत करने के निर्देश दिए।

एमआईएस रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि राज्य स्तर पर मनरेगा के 1.24 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से केवल 46.70 लाख (37.66 प्रतिशत) श्रमिक ई-श्रम पोर्टल में पंजीकृत थे और फरवरी 2025 तक पीएम-एसवाईएम में 14.29 लाख (11.52 प्रतिशत) श्रमिक पंजीकृत थे।

नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों में, फरवरी 2025 तक 17.99 प्रतिशत से 79.17 प्रतिशत तक श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर और 2.03 प्रतिशत से 22.05 प्रतिशत तक श्रमिक पीएम-एसवाईएम पर पंजीकृत थे। कोटा जिले में ई-श्रम पोर्टल पर सबसे अधिक 79.17 प्रतिशत श्रमिक पंजीकृत थे। नागौर जिले की स्थिति ख़राब थी जैसे कि यहाँ ई-श्रम पोर्टल पर 17.99 प्रतिशत श्रमिक और पीएम-एसवाईएम पर 2.03 प्रतिशत श्रमिक पंजीकृत थे। विवरण नीचे **तालिका 5.5** में दिया गया है :

[10] यह भारत सरकार की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह ₹ 3000/- की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्राप्त होगी और साथ ही पति/पत्नी के लिए पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है।

तालिका 5.5: फरवरी 2025 तक ई-श्रम पोर्टल और पीएम-एसवाईएम पर श्रमिकों के पंजीकरण की स्थिति

जिले का नाम	सक्रिय श्रमिक	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या	पीएम-एसवाईएम पर पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या
बांसवाड़ा	717039	300007 (41.84%)	21470 (2.99%)
चित्तौड़गढ़	259142	72552 (28.00%)	15684 (6.05%)
जैसलमेर	233628	61925 (26.51%)	51513 (22.05%)
कोटा	184720	146239 (79.17%)	10128 (5.48%)
नागौर	756859	136194 (17.99%)	15381 (2.03%)

(स्रोतः नरेगा -सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)

ई-श्रम पोर्टल और पीएम-एसवाईएम पर पंजीकरण में विभाग की ढिलाई के कारण, मजदूरों को योजनाओं के लाभ से काफी हद तक वंचित रहना पड़ा।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025 में) कराया कि राज्य स्तर पर मनरेगा श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल/पीएम-एसवाईएम पर अधिकतम पंजीकरण के लिए निर्देश जारी करने के बाद समय-समय पर निगरानी की गई है। तथ्य यह है कि फरवरी 2025 तक राज्य स्तर पर मनरेगा श्रमिकों में से केवल 37.66 प्रतिशत और 11.52 प्रतिशत ही क्रमशः ई-श्रम पोर्टल और पीएम-एसवाईएम पर पंजीकृत हो पाए हैं।

5.13 निष्कर्ष और सिफारिशें

राज्य में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र अच्छी तरह से स्थापित और कार्यात्मक नहीं है। परिचालन दिशानिर्देश 2013 जारी होने के 11 साल से अधिक समय के बाद राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय तकनीकी एवं गुणवत्ता निगरानी प्रकोष्ठ गठित किए गए थे। लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए गठित की जाने वाली अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति में आठ साल की देरी हुई है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध अपील करने के अधिकार से वंचित रहना पड़ा। 2021-22 से 2023-24 के दौरान जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा योजना के तहत निष्पादित कार्यों का आवधिक निरीक्षण 0 से 66 प्रतिशत के बीच रहा। नमूना जाँच की गई 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में योजना के तहत आवश्यक अभिलेखों का संधारण सुनिश्चित नहीं किया गया।

योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान इंगित वित्तीय अनियमितताओं की वसूली राज्य स्तर पर केवल 23.58 प्रतिशत तक थी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई पर्याप्त संख्या में आपत्तियाँ, राज्य और नमूना जाँच किए गए ज़िलों के स्तर पर सुधारात्मक कार्रवाई के अभाव में लंबित थीं।

सिफारिशें:

9. राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि योजना के अंतर्गत निष्पादित कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारियों द्वारा समय-समय पर आवधिक निरीक्षण किए जाएँ और ग्राम पंचायतों में सभी अनिवार्य रजिस्टर संधारित किये जाएँ।

जयपुर, **(रामावतार शर्मा)**

24 फरवरी 2026 **महालेखाकार**

(लेखापरीक्षा-I), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली, **(के. संजय मूर्ति)**

26 फरवरी 2026 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**